386

हरिद्वार विकास प्राधिकरण,

की

ऑडिट रिपोर्ट

अवधि

वर्ष 2008–09

Scanned with CamScanner

सचिव/उपाध्यक्ष हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार

385

डा/50

निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें, सहा. स्टेट इण्टरनल आडिट उत्तराखण्ड

।स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग। देहरादून

सम्परीक्षा आख्या भाग-प्रथम

लेखे का नाम:- हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार ।

सम्परीक्षा अवधि:- 2008-09

प्रशासन:- आलोच्य अवधि में निम्नलिखित अधिकारी प्रशासनिक एवं आहरण वितरण अधिकारी रहे है ।

क्रमांक नाम	पदनाम	अवधि
1- श्री आनन्द बर्धन	उपाध्यक्ष	01 अप्रैल, 08 से 31 मार्च, 09 तक
2- श्री रणवीर सिंह	सचिव	01 अप्रैल, 08 से 31 मार्च, 09 तक
3- श्री पी0के0 गोयल	मुख्य वित्त अधिकारी	01 अप्रैल, 08 से 30 नवम्बर, 08 तक
4- श्री हर सिंह बोनाल	मुख्य वित्त अधिकारी	01 दिसम्बर, 08 से 31 मार्च, 09 तक

सम्परीक्षा का स्वरूप:- उप लेखा परीक्षा ।

निस्तारित आपत्तियों की सूची:- सहायक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा विचार विमर्श के दौरान निम्नलिखित आपत्तियों का निस्तारण किया गया:-

अवधि	सम्परीक्षा आख्या के अनुच्छेद	आपत्ति पत्रावली के पृष्ठ	कुल निस्तारित आपत्तियों की संख्या
2006-07	।13। ।क।, ।13। ।ख।, ।17।	---	03
2007-08	स0 टिप्पणी भाग-दो ।ब-।1। ।12।, ।12। ।।।।, ।13।, ।14। ।15।, ।16। ।। ।।। ।।।।, ।17।, ।18।, ।19। ।110।, ।112।, ।116।, ।117।	---	16
		योग:-	19

वित्त अधिकारी
अनुपालन आख्या
CFO/05
18/12/
उपाध्यक्ष 27/11/10
9/12/10 Secretary

सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, द्वारा विचार विमर्श के प

का निस्तारण किया गया :-

अवधि	सम्परीक्षा आख्या के अनुच्छेद	पद
2006-07	सं0 आख्या भाग-दो IबI,-I I4I, I IIII IकI IखI, I I6I	5
2007-08	सं0 आख्या भाग दो IबI-3 टिप्पणी III I2I I3I I4I,5 III I2I I3I, 4 III I2I,7	-

योग

निस्तारण के पश्चात् निम्नलिखित अनिस्तारित आपत्तियाँ शेष हेतु अनुपालन कराये जाने हेतु सक्षम अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया

अवधि	सम्परीक्षा आख्या के अनुच्छेद	आपत्ति पत्रावली के पद
2006-07	I IकI IखI IगI, I I2I, I I5I, I I6I, I I10I, I I19I, I I21I, 5 I1I I2I	-
2007-08	सं0 टिप्पणी भाग दो IबI- I IIII I IIII III IIII IIIII I4I; I I13I I I14I, I I15I	1,3,4,5,6,8

स्थान:देहरादून

दिनांक: 5-2-2010

ह0/

I पी0आर

सहायक

स्थानीय निधि

देहरा

निर्गमनार्थ प्राधिकृत

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी
स्थानीय नि... भाग उत्तराखण्ड
हरिद्वार

384

निदेशालय, कोषागार [illegible] लेखा सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडिट, उत्तराखण्ड

।स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग। देहरादून -

-सम्परीक्षा आख्या भाग-दो ।ब।-

लेखे का नामः- हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार ।

सम्परीक्षा अवधिः- वर्ष 2008-09

सम्परीक्षा का दिनांकः- वर्तमान सम्परीक्षा दिनांक 23-7-09 को प्रारम्भ तथा दिनांकः- 15-12-09 को समाप्त की गयी ।

1- लेखे में पाई गयी उल्लेखनीय अनियमिततायें:-

।क। भू- उपयोग परिवर्तन शुल्क न लिये जाने से आर्थिक क्षति रुपया 17754000:- मानचित्र संख्या 4436/महा- । ।क। मान/हरि/एस डबल्यू-6।/120/2008-09 दिनांक 28-7-09 श्रीमती बलबीर कौर पत्नी श्री गुरुबचन सिंह, होटल गोडविन की पत्रावली नोट सं 10 पर अंकित टिप्पणी के अनुसार प्रस्तावित स्थान का भू उपयोग ऋषिकेश योजना भाग ब के अनुसार आवासीय मध्य घनत्व आर-1 था । उक्त भू उपयोग के अन्तर्गत होटल का मानचित्र स्वीकार्य भू-उपयोग के अन्तर्गत स्वीकार्य भू-उपयोग नहीं था ।

बोर्ड की 45 वीं बैठक दिनांक 25-10-08 के क्रमांक 45- अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से के अनुसार ।क।- श्रीमती बलवीर कौर पत्नी श्री गुरुबचन सिंह द्वारा ग्राम हरिपुर कलां के खसरा न0 84 ।ख। व 85-86 ।ब। हरिद्वार -ऋषिकेश मुख्य मार्ग पर स्थित भूखण्ड क्षेत्रफल 5380 वर्गमीटर पर होटल गोडविन के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया । उक्त अनुमोदन पर भू-उपयोग परिवर्तन से शुल्क में छूट सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं था । उक्त नोट शीट पृष्ठ 10 के अनुसार उक्त अनुमोदन जोनिंग रेग्युलेशन के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया था ।

भू-उपयोग परिवर्तन संबंधी शासनादेश सं0 1205/5 -आ-2005-1। ।एल.यू.सी।/2003 दिनांक 12-4-05 के क्रम में शासनादेश सं0 1573/5-आ- 2006-1। ।एल.यू.सी.।/03 दिनांक 19 सितम्बर 2003/2006 अनुसार महायोजना में निम्न भू-उपयोग से उच्च भू उपयोग परिवर्तन के लिये शुल्क का निर्धारण किया गया था । उक्त शासनादेश के अनुसार महायोजना एवं क्षेत्रीय योजनान्तर्गत भू-उपयोग की अनुमन्यता को एक अधिकार के रूप में न देखकर प्रकरण विशेष के तकनीकी परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये जाने की दशा में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर 2.0 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक निर्धारित दर का भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क लिया जाना था ।। अतः आवासीय से पर्यटन ।होटल। में परिवर्तन पर सर्किल दर का 100 प्रतिशत अर्थात 5380 वर्गमीटर का रू0 5380×3300=17754000 शुल्क लिया जाना था । अतः उक्त शुल्क न

लिये जाने से प्राधिकरण को रू0 1,77,54,000 की आर्थिक क्षति हुई । इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा प्रतिपूर्ति हेतु समुचित का

।ख। उप विभाजन शुल्क कम लेने से आर्थि क्षति:- मानचित्र संख्या हरि. -09 उत्पल जुनेजा, राजलोक विहार की मानचित्र पत्रावली की जाँच से प्र प्रस्तावित निर्माण का भूखण्ड 20 फीट चौड़े रास्ते से लगा हुआ था । कार्यालय उपनिबंधक हरिद्वार की द्विवार्षिक मूल्यांकन सूची के अनुसार फुट चौड़ी सडक को ही मुख्य सड़क माना जायेगा तद्नुसार सर्किल रेट 50 एड दि रेट 7500 प्रतिवर्गमीटर थे । मानचित्र स्वीकृति के समय उपविभा प्रतिवर्ग मीटर की दर से नेट प्लाट एरिया पर लिये गये जबकि एड दि रे भूखण्ड क्षेत्र फल पर लिये जाने थे । इस प्रकार निम्नानुसार रुपया 2476-

रुपया 5600 प्रति वर्ग मीटर से निर्धारित करने पर	रुपया 7500 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित करने पर
130.34x5600x1- / 100	130.34x7500x1- / 100
= 7299-00	= 9775-50

।ग। विकास शुल्क कम लिये जाने से आर्थिक क्षति रुपया 6637:- मानचि 09/मान/ऋषि/14/2008-09 श्रीमती रूची वर्मा पत्नी श्री कमल कांत पत्रावली की जाँच से प्रकाश में आया कि पारित नक्शे में ग्राउन्डफ्लोर मीटरx16.46 मीटर=375-94 वर्ग मीटर थी जबकि अवर अभियंता की विकास शुल्क व्यावसायिक दर से 342.76 वर्ग मीटर एड दि रेड 200 प्रति लिया गया था । अन्तर का कारण स्पष्ट नहीं हो सका । इसे स्पष्ट करा रुपया 133.18x200=16637 की आर्थिक क्षति हुई ।

।घ। सडक चौडीकरण क्षेत्र फल पर उप विभाजन शुल्क न लिया जाना:- मान जाँच से प्रकाश में आया कि उप विभाजन शुल्क भूखण्ड क्षेत्रफल का न लेकर घटाते हुये लिया गया था । उप विभाजन शुल्क नेट प्लाट एरिया पर समरीक्षा में नहीं दिखाये गये जिससे स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी । इस करायी जाय अन्यथा इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही अपेक्षित है ।

क्रमांक मानचित्र सं0	नेट भूखण्ड क्षेत्र	भूखण्ड क्षेत्र फल	उप विभाजन शुल्क चौडीकरण क्षेत्र रेटx1
1- एस.डब्लू.76/135/2008-09	176.89	177.95	6700x1x1.06
2- एस.डब्लू-77/136/2008-09			
3- एस.डब्लू-57/116/2008-09			
4- एस.डब्लू-84/143/2008-09			
5- एस.डब्लू 64/123/2008-09			
6- एस.डब्लू-61/120/2008-09			
7- एस.डब्लू-41/2008-09			

।ड.1 पत्रावली पुनस्थापन

पत्रावली संख्या आर.ई. नक्शा दिनांक 30-6-08 को दिनांक 5-8-08 को पारि स्वामियों की भूमि संयोज पर दिनांक 6-12-08 को गया, जिससे 451.61 पर

।च। मानचित्र पत्रावलियों

।।। अनुमन्य से जाना:- मानचित्र एस ड नेहरू मार्ग, ऋषिकेश का परि चित्र नगर पालिका परिषद 116 185-86।4-1-86 ग्राउन्ड कवरेज 85.78 मी० 82.11 मीटर^2 दर्शाया गया नक्शे से प्राधिकरण द्वारा प ग्राउन्ड कवरेज 65 प्रतिशत

।।।। उक्त मानचि गया था जबकि नगर पा

383

2- एस.डब्लू-77/136/58.93 2008-09		83.61	$\frac{9800\times1\times24.68}{100}$	2418=64
3- एस.डब्लू-57/116/130.34 2008-09		144-05	$\frac{5600\times1\times1371}{100}$	767-76
4- एस.डब्लू-84/143/ 134.82 2008-09		139-40	$\frac{2800\times1\times4.58}{100}$	128=24
5- एस.डब्लू 64/123/ 176.62 2008-09		187.87	$\frac{11000\times1\times11.25}{100}$	1237=50
6- एस.डब्लू-61/120/4769.19 2008-09		5380	$\frac{610.1\times3300\times2}{100}$	40266=00
7- एस.डब्लू-41/ 2008-09	146.71	167.28	$\frac{20.57\times6000\times1}{100}$	1234=20 आदि
				46176=96

13.1 पत्रावली पुनर्स्थापना शुल्क न लिये जाने से आर्थिक क्षति रूपया3750-00:- मानचित्र पत्रावली संख्या आर.ई.-1/14/2008-09/ मान/ऋषि/14/2008-09 श्रीमती रूचि वर्मा का नक्शा दिनांक 30-6-08 को अस्वीकृत हुआ था, उसके पश्चात् पुनः रिओपन शुल्क रू0 185 लेकर दिनांक 5-8-08 को पारित किया गया, किन्तु उसके पश्चात् आदि दिनांक तिथि को दो भू-स्वामियों की भूमि संयोजन के पश्चात् उक्त पारित नक्शे की भूमि जोडते हुये 451 का वर्ग मी पर दिनांक 6-12-08 को पारित किया गया । इस बार पत्रावली पुनर्स्थापना शुल्क नहीं लि गया, जिससे 451.61 पर 5000 का 75 प्रतिशत अर्थात रूपया 3750 शुल्क की आर्थिक क्षति हुई

14। मानचित्र पत्रावलियों में पारण सम्बन्धी विभिन्न अनियमिततायें:-

111 अनुमन्य से अधिक ग्राउन्ड कवरेज एवं एफ.ए.आर. पर मानचित पारित किया जानाः- मानचित्र एस डब्लू-36 /ऋषिकेश/2008-09 श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह ने नेहरू मार्ग, ऋषिकेश का परिवर्धन मानचित प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया था । उक्त मानचित्र नगर पालिका परिषद द्वारा पूर्व में स्वीकृत किया गया था जिसकी पारण तिथि/ संख्या 116 185-861/4-1-86 थी । पूर्व में पारित मानचित्र में कुल प्लाट क्षेत्रफल 125.46 मीटर^2 व ग्राउन्ड कवरेज 85.78 मी0^2 था । वर्ष 2008-09 के प्राधिकरण द्वारा पारित मानचित्र में इसे 82.11 मीटर^2 दर्शाया गया था ग्राउन्ड कवरेज 65.4 प्रतिशत दर्शायी गयी थी । पूर्व स्वीकृत नक्शे से प्राधिकरण द्वारा पारित नक्शे की ग्राउन्ड कवरेज 68.37 प्रतिशत थी । अतः अनुमन्य ग्राउन्ड कवरेज 65 प्रतिशत से अधिक कवरेज पर नक्शे का पारण अनियमित था ।

1111 उक्त मानचित्र में प्राधिकरण द्वारा कुल कवरेज एरिया 137.01 मीटर^2 दर्शाया गया था जबकि, नगर पालिका द्वारा पारित मानचित्र के सापेक्ष कुल कवरेज 85.78+54.90=

140.68 मी^{2} था । जिसके एफ.ए.आर. 1.12 पर नक्शे का पारण किया
अनुमन्य 1.10 थी, प्राधिकरण द्वारा एफ.ए.आर. 1.09 दर्शाया गया । यह
च ।।।। ।।। कम भू- स्वामित्व पर अधिक भूमि पर नक्शे का पारण एवं

।।। मानुचित्र पत्रावली आर.ई.-1/14/2008-09/मान/अधि/14
रूचि वर्मा के नाम विक्रय अभिलेख 250.93 वर्ग मीटर के थे जबकि नोट शीट
19 जुलाई, 08 की टिप्पणी के अनुसार सबडिविजन शुल्क 254.93 वर्ग मीटर
नोट शीट 9 पर अंकित टिप्पणी के अनुसार नक्शा 5 अगस्त 08 को पारित
था । जब भू स्वामित्व 250.93 मी^{2} था तो मानचित्र 254.93 वर्ग मीटर
का औचित्य स्पष्ट नहीं हो सका । स्थिति स्पष्ट करायी जाय ।

।।।। उक्त के पश्चात् अन्य भूस्वामी की भूमि के संयोजन के पश्चात
451.67 वर्ग मीटर पर दिनांक 6-12-08 को पुनः पारित किया गया जिस
व्यवसायिक था । दो भूस्वामियों की भूमि पर संयुक्त रूप से नक्शे का पारण
औचित्य स्थिति स्पष्ट करायी जाय ।

।।।।। ग्राउन्ड फ्लोर का नक्शा व्यावसायिक था, अतः उपविधि 2
अग्र भाग पृष्ठ भाग, पार्श्व-1 एवं पार्श्व-2 में क्रमशः 6, 3, 3, एवं 3 सैट बैक छो
जबकि 1.2 मीटर अग्र छोड़ा गया था । स्थिति स्पष्ट करायी जाय ।

च ।।।।। ।।। मानचित्र सं0 4436/महा-1 ।क। मान/हरि/एस.डब्लू-61/
दिनांक 28 जुलाई, 09 श्रीमती बलवीर कौर पत्नी श्री गुरबचन सिंह के भू-स्वा
में लेखपाल की आख्या अनुपलब्ध रही ।

।।।। उक्त अनुज्ञा की शर्तानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण वि
अग्निशमन विभाग, ग्राम पंचायत हरिपुर कलां से बांछित अनापत्ति प्रमा
हुये थे । यद्यपि पत्रावली में संलग्न अग्निशमन अधिकारी के पत्र संख्या न-4/एफ
दिनांक 30 जुलाई 09 के अनुसार स्थल पर कार्य समाप्त हो चुका था किन्तु उ
बांछित ब्लूप्रिंट, सी.डी. आदि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु भू स्वामी
मन, विभाग को प्राप्त नहीं कराये गये थे । इस पत्र पर प्राधिकरण द्वारा कृत क
पत्रावली से स्पष्ट नहीं हो सकी थी । उल्लेखनीय है कि उक्त पत्र का पत्रांक
प्रेषित था जबकि प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा उस पर 25 जुलाई, 09 एवं 27
हस्ताक्षर किये गये थे । उक्त विरोधा भास की स्थिति नहीं करायी गयी ।

।।।।। गंगा प्रदूषण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र सशर्त था, जिसके पा
पत्रावली से ज्ञात न हो सकी थी ।

च ।।। ।।। शमन मानचित्र नो0 ज्ञा/10/6-7 श्रीमती अनिता सक्सेना, की 13.8

की शमन पत्रावली की जाँच से प्रकाश में आया कि पूर्व में पारित मानचित्र दिनांक 13-5-0 में भूखण्ड क्षेत्रफल 155.64 मीटर^2 का था । पत्रावली में गौत्र पूर्व स्वीकृत मानचित्र संलग्न था जिसे पूर्व में लिये गये शुल्कों की जाँच न होने से, शमन पत्रावली की सम्यक जाँच नहीं हो सकी ।

iii) वर्तमान शमन पत्रावली में अतिरिक्त भूखण्ड का 13.88 वर्गमीटर दिनांक 24-9-04 को क्रय किया गया संलग्न था । इस प्रकार पूर्व स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ योग करने पर कुल भूखण्ड क्षेत्रफल (155.64+13.88) 169.48 वर्ग मीटर होना चाहिये था । पत्रावली की नोट शीट की दिनांक 4-1-84 टिप्पणी के कुल भूखण्ड 151.20 मी०^2 था तथा दिनांक 20-2-09 की टिप्पणी के अनुसार भूखण्ड क्षेत्रफल 149.50 मी०^2 था । अन्तर का कारण स्पष्ट नहीं हो सका । स्थिति स्पष्ट करायी जाय ।

iv) श्रीमती अनिता सक्सेना के शपथ पत्र दिनांक 6 मार्च, 2009 के अनुसार कुछ क्षेत्रफल स्वयं के व्यय पर ध्वस्त करने हेतु दर्शाया गया था किन्तु उक्त ध्वस्तीकरण की अधावधि स्थिति अस्पष्ट एवं अज्ञात थी ।

v) पारित नक्शे के पार्श्व सैट बैक पर रेलवे लाइन दर्शाया गया था। रेलवे के अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में स्थिति अज्ञात एवं अस्पष्ट रही ।

vi) अवस्थापना विकास निधि को ऋण वापसी न होने के संबंध में:- अवस्थापना विकास निधि की पत्रावली की जाँच से प्रकाश में आया कि आयुक्त/अध्यक्ष द्वारा जिलाधिकारी आवास की मरम्मत के लिये चैक संख्या 248635 दिनांक 19-2-09 द्वारा रुपया 8,11,000/= का ऋण के रूप में भुगतान किया गया था । इसका समयोजन कब किया गया स्पष्ट नहीं था । प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त ऋणों से संबंधित पंजी में उक्त ऋण की प्रविष्टि आगामी अवसर पर दिखायी जाय ।

vii) परिवाद जुर्माना रुपया 1,70,500 को वापस न किया जाना:- सी०जे०एम० कोर्ट, हरिद्वार द्वारा विभिन्न परिवादों में हरिद्वार विकास प्राधिकरण के पक्ष में परिवाद जुर्माना रुपया 170500 का आदेश पारित किये गये थे । आलोच्य अवधि में उक्त धनराशि की प्राप्ति नहीं की गयी थी । इस ओर सक्षम अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

viii) देवपुरा-पार्क में खंडित मूर्ति को हटाकर नई मूर्ति लगाया जाना:- अध्यक्ष की स्वीकृति दिनांक 28 फरवरी, 08 के क्रम में हरिद्वार के देवपुरा पार्क में पूर्व से स्थापित पंडित श्री गोविन्द बल्लभ पन्त की खंडित कांस्य प्रतिमा हटाकर नई कांस्य मूर्ति स्थापित की गयी थी । इसके लिये मैसर्स आयुधी कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स को चैक सं० 39930 दिनांक 1-12-08 को समस्त कटौतियों रुपया 20213 के उपरान्त रुपया 104787 का भुगतान किया गया था । इसमें निम्न

Scanned with CamScanner

आपत्तियाँ प्रकाश में आयी :-

।1। उक्त कार्य हेतु पत्रांक 2558/अभि: विविध/2007-08 दिनांक
मांगी गई कोटेशन में परीड़ा मूर्ति कला केन्द्र श्रद्धादुरभ भूतवाला की स्थ
क्षेत्रपाल आर्ट कुम्हार साही कटक 1,75,000 तथा कला निकतन बुद्धदेव स्क
दरें प्राप्त हुई थी जबकि बाद में पत्रांक 1226/अभि।।क।-63/2007-08
को मैसर्स आयुषी कन्सट्रक्शन से ।प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम निविदा। मे
1,25,000 में कार्य कराया गया। जिससे प्राधिकरण का ।125000-1,10,
का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

।2। उक्त कार्य की स्वीकृति, अध्यक्ष द्वारा, अवस्थापना विकास स
की प्रत्याशा में दी गयी किन्तु अवस्थापना विकास समिति की स्वीकृति न
सकी।

।3। उक्त स्वीकृति रुपया 1,10,000 हेतु मांगी गयी थी किन्तु
का दिया गया। रुपया 15,000/= की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति
व्यय सम्परीक्षा में मान्य नहीं था।

।4। उक्त पार्क हरिद्वार विकास प्राधिकरण का नहीं था अतः उसके
दायित्व प्राधिकरण का नहीं होना चाहिये था। स्थिति स्पष्ट करायी ज

।5। खंण्डित मूर्ति तांबे की थी, जिसकी आगत प्राधिकरण के स्टोर/
नहीं दिखायी गयी। इसकी स्टोर में वापस दिखायी जाय तथा निस्तारण
आगामी सम्परीक्षा में दिखायी जाय।

।ग। <u>निर्माण सम्बन्धी अनियमिततायें:-</u> <u>परिहार्य व्यय रुपया: 1,04,589:-</u>
विकास निधि से मैसर्स रामदयाल एण्ड कम्पनी को शास्त्रीनगर में सी.सी. सड़
तृतीय एवं अंतिम बिल का आवश्यक कटौतियों के उपरान्त रुपया 1,80,252-
किया गया था। उक्त कुल कार्य रुपया 9,28,857-00 का किया था तथा
भुगतान चैक संख्या 438218 दिनांक 29 दिसम्बर,08 से भुगतान किया गया
कार्य हेतु अनुबंध ए जी सं. 06 दिनांक 17-8-2006 रुपया 7,80,727-84 का
पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि पूर्व में उक्त कार्य हेतु अल्पकालीन
।क।-216/2005-06 जून,05 को विज्ञापित की गयी थी जिसमें ठेके की अनुम
रुपया 7,34,331 थी। इस कार्य हेतु प्राधिकरण के पत्रांक सं0 03/अभि-। ।क।
दिनांक 28 जून,05 द्वारा निविदा स्वीकृत करते हुये तीन दिन के अन्दर अनुबन्ध
गया था। इस पत्र से स्वीकृत निविदा मैसर्स श्री रामदयाल की 11.36 प्रतिशत
अनुबंध संलग्न नहीं था।

(381)

12। इसके पश्चात् नोट शीट 6 पर दी गयी टिप्पणी के अनुसार योजनाओं की निविदायें निरस्त होने के कारण कार्य नहीं कराया गया किन्तु कार्य की निविदा स्वीकृत करने के पश्चात निविदा निरस्त करने का कारण एवं निविदा निरस्त करने के आदेश पत्रावली में संलग्न नहीं थे तथा न ही सम्परीक्षा में स्थिति स्पष्ट करायी गयी ।

13। उक्त के पश्चात् उपाध्यक्ष की स्वीकृति दिनांक 31 मई ,06 के क्रम में संशोधित आकलन रुपया 7,80,727-84 का बनाया गया था जिसकी निविदा 28-6-06 को खोली एवं स्वीकृत की गयी थी । टेण्डर पत्रावली, अनुबंध, पुन: विज्ञापन, एवं अवस्थापना विकास निधि की पुनर्स्वीकृति सम्परीक्षा में अनुपलब्ध रही ।

14। उक्त 28-6-06 को स्वीकृत आंकलन की दरें पूर्व स्वीकृत दरों से अधिक थीं तथा स्वीकृत निविदा मैसर्स श्री रामदयाल ठेकेदार को ही 0.01 प्रतिशत निम्न पर स्वीकृत थी । यदि विज्ञापित दरों पर ही कार्य कराया गया होता तो प्राधिकरण को (11.36-0.01) प्रतिशत अर्थात 11.35 प्रतिशत निम्न की बचत होती । इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा रुपया

$$\frac{11.35\times928857}{100} = 105426=95$$

का परिहार्य व्यय किया गया ।

15। माप पुस्तिका 77, वर्क पंजी अनुपलब्ध रही ।

16। कार्य समाप्ति प्रमाण पत्र पर पैनल्टी इम्पोज्ड लिखा गया था किंतु पैनल्टी की कोई कटौती नहीं की गयी थी । स्थिति स्पष्ट करायी जाय ।

7। हरिलोक कालोनी का अनुरक्षण पर आय से अधिक व्यय:- उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम की धारा 7 के अनुसार हरिलोक कालोनी का अनुरक्षण करना प्राधिकरण के उद्देश्यों में नहीं था, इसे सम्बन्धित कार्य करने वाली स्थानीय निकाय को अन्तरित न कर इसका अनुरक्षण किया जा रहा था । आलोच्य अवधि में उक्त कालोनी से अनुरक्षण शुल्क के रुप में रुपया 5,58,889-00 प्राप्त किया गया तथा उसके अनुरक्षण पर रुपया 6,90,731 व्यय किया गया । अत: उक्त कालोनी के अनुरक्षण पर प्राधिकरण द्वारा श्रम एवं समय दिया गया तथा साथ ही रुपया 1,31,842 का क्षति भी उठानी पड़ी यह प्राधिकरण के वित्तीय हितों के विपरीत था । इस और प्राधिकरण अधिकारियों का ध्यान विशेष रुप से आकृष्ट किया जाता है ।

8। स्थायी अग्रिम पंजी का अनुरक्षण कर आगामी अवसर पर उपलब्ध कराया जाय:- जिसमें रू0 10,000 का स्थायी अग्रिम उद्यान निरीक्षक एवं रू0 14,639/- का भुगतान दिनांक 29-11-08 को उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को दिया गया है का समायोजन भी दिखाया जाय ।

9। वृक्ष पंजी एवं वृक्ष जीवितता पंजी का अनुरक्षण न किया जाना:- उद्यान अनुभाग के व्ययपत्रों की जाँच से प्रकाश में आया कि विकास प्राधिकरण द्वारा रोपित वृक्षों की वृक्ष जीवितता पंजी नहीं बनाई गयी थी, जिससे प्राधिकरण द्वारा लगाये पौधों की स्थिति अज्ञात थी एवं प्राधिकरण

Scanned with CamScanner

द्वारा हरितिमा पर किये गये व्यय की सम्यक् जाँच संभव नहीं हो सकी ।

उक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण की सम्पत्ति पर स्थित वृक्षादि की
अनुरक्षित न किये जाने के कारण स्पष्ट नहीं हो सकी । उक्त दोनों पंजी
आगामी अवसर पर समरीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जाय ।

।ण। अनियमित भुगतान रूपया 8000/- :- श्री सुधीर सिंह नेगी, कम्प्यूटर
कार्यालय के माह सितम्बर, 08 का वेतन/परिश्रमिक हेतु, मैसर्स नेगी कम्प्यूटर सैल
2/21-10-2008 को रूपया 8000/= का भुगतान किया गया था । उक्त वेतन
आयुक्त गढवाल मंडल, पौडी के पत्रांक सं0 मीमो/व्यै0सहा0 2008 दिनांक 13
के क्रम में किया गया था । इसमें निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आयी:-

।।। कमिश्नर कार्यालय में हरिद्वार विकास प्राधिकरण के कम्प्यूटर
कोई पद सृजित था अथवा नही । इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय
भुगतान प्राधिकरण पर व्यय भार नहीं था, जिससे भुगतान अनियमित था । आ
8000x2=16000 का भुगतान किया गया था ।

।।। उक्त भुगतान आउट सोर्सिंग के माध्यम से किया गया था । क
गया अनुबन्ध अनुपलब्ध था तथा सर्विस चार्ज का भुगतान नहीं किया गया था ।

।।।। आयुक्त महोदय का उक्त पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 08 का था
08 का बिल संलग्न किया गया था । स्थिति स्पष्ट करायी जाय ।

।त। गृह किराये भत्ते का भुगतान रूपया 5000/= :- वेतन देयक नवम्बर, 08
रू0 3,41,187-00 की जाँच से प्रकाश में आया कि श्री आर0एस0 चौहान, सचि
10,975-00 जिस पद उन्हें रूपया 5000/= गृह किराया भत्ता दिया गया था
रू0 10975 पर रूपया 5000/= गृह किराया अनुमन्य नहीं था । स्थिति स्पष्ट

।थ। वेतन निर्धारण की जाँच न किया जा सकना:- वेतन पंजिका की जाँच से प्र
श्री रणवीर सिंह चौहान, सचिव का वेतन मई, 08 में रूपया 10650/= था । उन्हें
वेतन वृद्धि जून, 08 में वेतन वृद्धि देते हुये रूपया 10975 तथा जुलाई 08 में पुनः वृ
1 जनवरी, 2009 में 21620 था । सेवा पुस्तिका, वेतन निर्धारण उपल
वेतन देयक की सम्यक जाँच नहीं हो सकी । स्थिति स्पष्ट करायी जाय ।

।द। अवर अभियन्ताओं को बकाया वेतन भुगतान:- श्री सुनील पराशर, अवर अभियं
यों के बाद शुद्धबकाया वेतन भुगतान रूपया 1,54,605 की जाँच से प्रकाश में आया कि
नैनीताल झील विकास प्राधिकरण के आदेश संख्या 73/अधि0एक-/नै0 वि0 प्रा0/200
19 मई, 2008 से श्री सुनील पराशर को 30 नवम्बर, 96 को 14 वर्ष पूर्ण होने पर
मान 8000-275-13500 दिया गया था । उक्त वेतन मान उन्हें 1-10-1996 से

Scanned with CamScanner

380

दिया गया था । उक्त आदेशानुसार उन्हें दिनांक 30-11-1996 को 14 वर्ष पूर्ण हुये थे । सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली एवं आदेश उपलब्ध न होने से वास्तविक तथ्य की पुष्टि संभव नहीं थी । स्थिति स्पष्ट करायी जाय । उक्तके अभाव में समुचित कार्यवाही अपेक्षित होगी ।

उक्त आदेश के क्रम में हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा दिनांक 1-9-1997 से जनवरी, 2005 तक रुपया 2,16,627 में कटौतियों के बाद रुपया 1,54,605 का बकाया वेतन भुगतान किया गया था । सेवा पुस्तिका एवं पूर्व में आहरित देयकों के उपलब्ध न होने के कारण इसकी सम्यक जाँच संभव नहीं थी । इसे आगामी अवसर पर उपलब्ध कराया जाय ।

।।।।। इसी प्रकार दिनांक 11 नवम्बर, 08 को सर्व श्री रामानंद, अवर अभियन्ता, आनन्द राम, अवर अभियन्ता, एवं श्री सतेन्द्र पाल राणा, अवर अभियन्ता को क्रमशः 8-8-2000 से 17-8-2004 तक 3-2-2001 से 25-02-03 तक, 6 फरवरी से 9 अगस्त 2006 क्रमशः रुपया 77867, रुपया 199312 एवं रुपया 101214 का भुगतान किया गया था । सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकायें, व्यक्तिगत पत्रावलियाँ, संबंधित आदेश एवं पूर्व में आहरित वेतन उपलब्ध न होने से एरियर बिलों की सम्यक जाँच संभव न हो सकी । इन्हें आगामी अवसर प उपलब्ध कराया जाय ।

।4। उक्त में अंकित श्री रामानन्द के कुल भुगतान रुपया 77,867 किया गया था, तथा कुल देय आयकर कटौती से पहले रुपया 98071 था । योग करने पर योग रुपया 98071 के स्थान पर रुपया 163007 आता था । अन्तर रुपया का कारण, सेवा पुस्तिका एवं पूर्व में आहरित समस्त बिल उपलब्ध कराते हुये स्पष्ट कराया जाय ।

।घ। सेवा पुस्तिकाओं/व्यक्तिगत पत्रावली में पाई गई अनियमितताऐं:-

।।। सेवा पुस्तिकाओं के प्रथम पृष्ठ में सत्यापन का अभाव:- सेवा पुस्तिकाओं के प्रथम पृष्ठ के प्रविष्टियों का सत्यापन नियमानुसार प्रत्येक पाँच वर्ष पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिये था । जो नहीं किया जा रहा था । अतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

।।।। अवकाश लेखा अपूर्ण होना:- सेवा पुस्तिकाओं की जाँच करते समय पाया कि अवकाश लेख अद्यावधिक सत्यापन नहीं किया गया था । यथा, श्री अनिल कुमार सक्सेना, कार्यालय अधीक्षक, श्री शिव नारायण पाण्डे, चपरासी आदि ।

।।।।। श्री शिव नारायण पाण्डे, चपरासी:श्री पाण्डे, चपरासी की सेवा पुस्तिका और व्यक्तिगत पत्रावली की जाँच में निम्न कमियां पाई गई ।

।।। श्री पाण्डे, चपरासी द्वारा दिनांक 22-4-08 से 05-05-08 तक उपभोग किये चिकित्सा अवकाश का स्वीकृति अवकाश आदेश संलग्न नहीं था । जबकि श्री पाण्डे 06-05-08 को स्वस्थ/चिकित्सा प्रमाण पत्र लेकर अपने कार्य पर उपस्थित हो गये थे ।

Scanned with CamScanner

।।।। सेवा पुस्तिका में उक्त अवकाश अंकित था लेकिन सक्षम अधिकार[illegible]
नहीं है ।

।न। भवन निर्माण अग्रिम की वसूली न किया जाना:- स्थल पत्र की समीक्षा से
कि वर्ष 2006-07 की सम्परीक्षा आख्या भाग दो ।ब। के प्रस्तर ।। ।क। एवं
आपत्ति उठाये जाने के पश्चात् भी श्री श्यामचन्द्र, अवर अभियन्ता को दिनांक [illegible]
प्रदत्त भवन निर्माण अग्रिम रुपया 50,000 की मार्च, 2000 के पश्चात् वसूली न[illegible]
वर्तमान सम्परीक्षा तक उन पर रुपया 11,976 तथा उसका अधावधिक ब्याज अव[illegible]
की अधावधिक गणना कर, मूल रुपया 11,976 तथा ब्याज की वसूली अपेक्षित है ।

इसी प्रकार श्री राजीव दीक्षित सहायक अभियन्ता को 1995-96 में [illegible]
भवन निर्माण हेतु अग्रिम दिया गया था । जून, 2005 के पश्चात् कोई वसूली नहीं[illegible]
जून, 2005 के पश्चात् रुपया 1472 तथा उस पर अधावधिक ब्याज की वसूली अ[illegible]

।प। जिला टिहरी गढ़वाल और जिला पौड़ी गढ़वाल से रजिस्ट्री के अतिरिक्त [illegible]
प्राप्त नहीं किया जाना:- शहरी विकास/आवास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन,
अधिसूचना सं0 1412/श0वि0अनु0 2003/285/श0वि0/2002 दिनांक 30-8-2003
योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 39 ।1। के अधीन वसूले गये 2 प्र[illegible]
स्टाम्प शुल्क की धनराशि में से 4 प्रतिशत अनुषांगिक एवं 4 प्रतिशत उगाही व्यय
उपरान्त विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत को क्रमशः
1.25 प्रतिशत के अनुपात में आवंटित कर भुगतान किया जाना था । वर्ष 2006-
आख्या भाग दो ।ब। प्रस्तर । ।4। में आपत्ति जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल [illegible]
पौडी गढ़वाल से उक्त मद में किये जाने के उपरान्त भी धनराशि प्राप्त नहीं हुयी
कम सम्परीक्षा में नहीं दिखायी जा सकी ।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण के गठन अधिसूचना संख्या 540/11-5-86-2[illegible]
85 दिनांक 2 मई 1986 के अनुसार जिला टिहरी गढ़वाल का मुनि की रेती नो[illegible]
का समस्त क्षेत्र राजस्व ग्राम ढालवाला नया पुराना, मुनी की रेती, तपोबन छुग्त्या[illegible]
निरगडू तथा जिला पौडी गढ़वाल में राजस्व ग्राम, ग्राम जौंक सम्मिलित था । अ[illegible]
ली गयी कार्यवाही से आगामी सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय ।

2- लेखे की परफार्मेन्स के सम्बन्ध में आवश्यक बिंदु:- कोई नहीं

3- वित्तीय स्थिति:- सम्परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार जहाँ तक सुनिश्चि[illegible]
सका, संस्था की वित्तीय स्थिति निम्नवत थी:-

(379)

	धनराशि रुपया
01-04-08 का प्रारम्भिक शेष	24,30,67,693=04
वर्ष की प्राप्तियाँ	22,00,54,623-87
योग	46,31,22,316-91
वर्ष में व्यय	16,44,75,782-36
31 मार्च, 09 को इतिशेष	29,86,46,534-55
	रुपया

बैंक इतिशेषों का विवरण

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया-8000	6,48,74,622-09
ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स 286	1,85,55,452-62
ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स 08	
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया 11137	8,28,392-82
पंजाब नेशनल बैंक 5738	1,31,75,075-88
विधायक निधि पंजाब नेशनल बैंक 5740	3,79,844-50
पी0एल0ए0 ट्रेजरी	56-72
यू0को बैंक खाता सं0 10500	39,562-00
बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1001	1,66,25,790-06
इलाहाबाद बैंक 12427	1,68,51,564-14
ब0खा0 कार्पोरेशन बैंक 5362152	53,62,152-00
ब0खा0 यूनियन बैंक 515778	98,98,006-14
विजया बैंक 491	5,41,81,534-00
विजया बैंक 451	9,16,71,222-01
विजया बैंक 489	6,463-00
एविकास बैंक 25513	19,29,995-00
विजया बैंक । आंओ स्वीप। 00008	5,94,868-00

टिप्पणी:- पी0एल0ए0 ट्रेजरी हरिद्वार की पासबुक में दिनांक 31-3-09 को रुपया 46,79,40,088-45 अवशेष था जबकि प्राधिकरण के चिट्ठे में मात्र रुपया 56-72 दर्शाया गया था। सम्परीक्षाभिबताया गया कि उक्त धनराशि कुम्भ मेला प्रशासन की है तथा मेला प्रशासन द्वारा प्राधिकरण के पी0एल0ए0 को प्रयोग में लाया जा रहा है। स्थिति स्पष्ट करायी जाय।

।।।। प्राधिकरण की रोकड़वही तथा लेजर किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित नही थी। रोकड़ वही लिखने वाले लेखाकार, मुख्य वित्त अधिकारी तथा सचिव

के हस्ताक्षर कराये जाने अपेक्षित थे ।

(iii) रोकड़ वही के अवशेष सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित
माह रोकड़ वही के अवशेषों का सत्यापन कराये जाने हेतु सक्षम अधिकारियों
किया जाता है ।

(iv) आय-व्यय का लेखा परिशिष्ट 'ङ' में दिया गया है।

4- विनियोजनों :- विनियोजन पंजी एवं प्राधिकरण के आर्थिक चिट्ठे
अनुसार संस्था के पास निम्नलिखित विनियोजन था:-

बैंक का नाम/ रसीद सं0 /दिनांक	जमा धनराशि रुपया	ब्याज दर/ अवधि	परिपक्वता धनराशि	परिपक्वता तिथि
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, 28556 I/ 2-7-08	8954870	9.30 400 दिन	9904717	5-8-09

टिप्पणी:- विनियोजन पंजी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं थी ।

(2) प्रमाणित किया जाय कि संस्था के पास उक्त के अतिरिक्त
विनियोजन नहीं थे ।

5- राजकीय अनुदान:- आलोच्य अवधि में प्राधिकरण को कोई राजकीय अनुदा
हुआ था । इस तथ्य की पुष्टि करायी जाय ।

टिप्पण:- (1) गत एवं विगत वर्षों के अवशेष अनुदानों की स्थिति संलग्न प्रपत्र

(2) अर्ध कुम्भ मेला अनुदान पंजी साधारण पंजिका में अनुरक्षित थी त
अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थी ।

(3) राजकीय आवर्तक/अनावर्तक अनुदानों का विवरण परिशिष्ट "ख"

(4) गत समरीक्षा के अनुसार आई0डी0एस0 एम0डी0 के अनुदान की
अवधि से अवशेष चली आ रही थी । इससे सम्बन्धित पत्रावली एवं अनुदान पंजी
जिससे इसकी सम्यक् जाँच नहीं हो सकी । अवशेष अनुदान (आई0डी0एस0एम0डी0
शासन को वापस किये जाने हेतु सक्षम अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता

6- राजकीय ऋण/अन्य ऋण:- समरीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्राधिकर
ऋण नहीं लिया गया था तथा न ही कोई ऋण प्रतिदान हेतु शेष था इस तथ्य की
जाय ।

7- समरीक्षा शुल्क:- आलोच्य अवधि की सकल आय/प्राप्तियाँ रुपया 22,00,
शासनादेश नुसार रुपया 6,60,680/- समरीक्षा शुल्क आरोपित किया गया
अवधि में ही राजकीय कोष के निर्धारित शीर्षक के अन्तर्गत चालान संख्या 01
2009 को जमा करा दिया गया था ।

Scanned with CamScanner

(378)

गत एवं विगत वर्षों का रूपया 45,66,202 सम्परीक्षा शुल्क जमा हेतु अवशेष था । इसमें से रूपया 2,59,410 ।चेक सं0 712240 ओरियंटल बैंक कामर्स दिनांक 15-7-09 से ।चालान सं0 01/दिनांक 21-7-09 द्वारा राजकीय कोष के निर्धारित शीर्षक में जमा करा दिया गया था ।

8- निष्कर्ष:- उपरोक्त अनुच्छेदों में वर्णित अभ्युक्तियों के अतिरिक्त लेखे की सामान्य स्थिति सन्तोष जनक थी ।

सम्परीक्षा आख्या भाग तीन में कुल 6 पद अवशेष हैं ।

स्थान-देहरादून

दिनांक:- 5-2-2010

डॉ0 विजय लक्ष्मी
सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी

ह0/
। पी0आर0 आर्य ।
सहायक निदेशक
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून

निर्गमनार्थ प्रधिकृत

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग उत्तराखण्ड
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार
नगरपालिका परिषद/जिला पंचायत/नगर पंचायत/इण्टर कालेज के आय और व्यय की तालिका

क्र0 सं0	स्थानीय निकाय का नाम	1 अप्रैल 08 को प्रारम्भिक अवशेष	राजकीय अनुदानों और ऋणों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आय	अनावर्तक राजकीय अनुदान	आवर्तक राजकीय अनुदान	राजकीय आय	वर्ष की सम्पूर्ण आय (क+ख+ग+घ)	प्रारम्भिक अवशेष सहित योग 3+4(ग)	वर्ष में हुआ व्यय	31 मार्च 2009 का अंतिम अवशेष	मन्तव्य
			2008-09 वर्ष की आय								
1	2	3	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(च)	5	6	7	8
1-	हरिद्वार विकास प्राधिकरण	243067693	220054624	–	–	–	220054624	463122317	164475782	298646535	
	योग . . .										

(हस्ताक्षर)
(बिजेन्द्र ...)
17/4/...

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 स्था0नि0ले0/358–22–10–2002–5,000 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

क्रमांक	आय का शीर्षक	वर्ष का वास्तविक	क्रमांक 1 के समक्ष स्तम्भ 3 में प्रदर्शित अनुदानों की सही स्थिति		मन्तव्य
			कुल आवर्तक अनुदान	कुल अनावर्तक अनुदान	
1	2	3	4		5
1	**शासन से प्राप्त अनुदान के प्रयोजन :–**	शून्य	शून्य	शून्य	
	(क) शिक्षा				
	(ख) चिकित्सा				
	(ग) जन–स्वास्थ्य				
	(घ) सड़क				
	(ङ) अन्य निर्दिष्ट प्रयोजन				
	(च) सामान्य प्रयोजन				
	(छ) नगरपालिका/जिला परिषद/अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत लगाये गये अर्थ–दण्ड के बदले				
	(ज) नगरपालिका/जिला परिषद/अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा प्रशासित नौका घाटों से प्राप्त आय के समतुल्य				
	(झ) अन्य प्रयोजन				
	(ञ) जिला परिषदों के सम्बन्ध में स्थानीय उप–शुल्कों के समतुल्य				
	(ट) ————				
2	शासन से प्राप्त ऋण				
3	खुले बाजार से लिये गये ऋण				
	योग				

(हस्ताक्षर)
परिषद लेखा परीक्षक

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 स्था0 नि0 ले0/363–28–09–2006–5,000 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

Scanned with CamScanner

वर्ष .... के अन्तर्गत .... द्वारा अनुमुक्त अनुदानों का विवरण

क्रम संख्या	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	आवास विकास अनुभाग उ०प्र०-1									
1-	शा.सं. 57/9-आ०-95-संगठित विकास, 53-आई.डी.एस.एम.टी./योजना (केन्द्रांश) 96 दिनांक 31-3-96		5300000	31-3-96						
2-	शा.सं. 57(i)/9-आ.-95-समेकित विकास 53-आई.डी.एस.एम.टी./योजना (राज्यांश) 96 दिनांक 31-3-96		35,53,000	31-3-96	4857722	—	4857722	—	4857722	
3-	शा.सं. 27/9-आ.-1-97-संगठित विकास 6-आई.डी.एस.एम.टी./योजना (केन्द्रांश) 97 दिनांक 29-3-97		1700000	9-2-98						
4-	शा.सं. 27(i)/9-आ.-1-97-समेकित विकास 6-आई.डी.एस.एम.टी./97 योजना (राज्यांश) दिनांक 29-3-97		1133000	9-2-98	102067	—	102067	-	102067	
5-	शासनादेश अनुपलब्ध	सौन्दर्यीकरण हेतु	1,10,000	—	55935	—	55935	-	55935	
6-	— तदैव —	सांस्कृतिक कार्य हेतु	अप्राप्त	—						[illegible]

राजाज्ञा संख्या...................... दिनांक...................... के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तरांचल तथा सचिव, उत्तरांचल शासन...................... विभाग को प्रेषित

निदेशक
कोषागार एवं वित्त सेवायें
उत्तरांचल

सं०......................

दिनांक......................

स्था० नि० सं०-66

वर्ष 2004-05 के अन्तर्गत हाईडार विकास प्राधिकरण द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

क्रम संख्या	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7-	अर्धकुम्भ मेले हेतु ~~विभिन्न~~ विभिन्न शासनादेशों द्वारा स्वीकृत राजकीय अनुदानों में से मेलाधिकारी द्वारा प्राप्त अनुदान	अनुदान अर्द्धकुम्भ मेला से सम्बन्धित विविध निर्माणकार्य	46681000	29-11-03 से 31-3-05 तक	32,03,802	—	32,03,802	—	3203802	

अर्द्ध-कुम्भ मेला 2004 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों हेतु कार्यालय मेलाधिकारी, हरिद्वार से प्राप्त धनराशि के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2008-09 में उपयोग एवं अवशेष का विवरण:-

क्र0सं0	कार्य का नाम	अवमुक्त राशि रू0 (लाख में)	01 अप्रेल 2008 को प्रा0अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	31 मार्च 2009 को अवशेष	अन्य विवरण
1	केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष तक पहुंच मार्ग	11.20	164556.00	0.00	164556.00	0.00	164556.00	
2	जटवाडा सेतु तक पहुच मार्ग	10.28	75460.00	0.00	75460.00	0.00	75460.00	
3	मेला क्षेत्र में विभिन्न सीनों पर हाईमास्ट लाईट की व्यवस्था	90.34	1159429.00	0.00	1159429.00	0.00	1159429.00	
4	पथ प्रकाश व्यवस्था	95.50	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	
5	मात्र सदन आश्रम के निकट सड़क का निर्माण कार्य	5.43	268518.00	0.00	268518.00	0.00	268518.00	
6	तरूण हिमालय टिबड़ी के समीप नाले का पुर्ननिर्माण तक सड़क अनुरक्षण	21.77	1044880.00	0.00	1044880.00	0.00	1044880.00	
7	गीता कुटीर से सच्चाबाबा द्वार तक सड़क एवं नाली निर्माण	6.44	337986.00	0.00	337986.00	0.00	337986.00	

Scanned with CamScanner

9	रोडी बलवाला में मुख्य	0.20	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	
	सड़क के बने फुटपाथ							
	व रेलिंग पर पेन्टिंग का कार्य							
10	जटवाड़ा से आगे 255	3.28	29398.00	0.00	29398.00	0.00	29398.00	
	मी0 लम्बाई में मुख्य							
	गंग नहर के किनारे							
	सौन्दर्यीकरण का कार्य							
11	चण्डीघाट पर शमशान	2 32	99097.00	0.00	99097.00	0.00	99097.00	
	घाट पर टीन शेड का							
	निर्माण कार्य							
12	सिंहद्वार से जटवाड़ा	0.10	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	
	पुल तक नहर के							
	किनारे झाडी सफाई का कार्य							
	योग	247.96	3203800.00	0.00	3203800.00	0.00	3203800.00	

Scanned with CamScanner

अर्द्ध कुम्भ मेला 2004 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों हेतु कार्यालय मेलाधिकारी, हरिद्वार से प्राप्त धनराशि के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2008-09 में उपयोग एवं अवशेष का विवरण:-

क्र0सं0	कार्य का नाम	अवमुक्त राशि रू0 (लाख में)	01 अप्रेल 2008 को प्रा0अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	31 मार्च 2009 को अवशेष	अन्य विवरण
1	केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष तक पहुंच मार्ग	11.20	164556.00	0.00	164556.00	0.00	164556.00	
2	जटवाडा सेतु तक पहुच मार्ग	10.28	75460.00	0.00	75460.00	0.00	75460.00	
3	मेला क्षेत्र में विभिन्न सीनों पर हाईमास्ट लाईट की व्यवस्था	90.34	1159429.00	0.00	1159429.00	0.00	1159429.00	
4	पथ प्रकाश व्यवस्था	95.50	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	
5	मात्र सदन आश्रम के निकट सड़क का निर्माण कार्य	5.43	268518.00	0.00	268518.00	0.00	268518.00	
6	तरूण हिमालय टिबड़ी के समीप नाले का पुर्ननिर्माण तक सड़क अनुरक्षण	21.77	1044880.00	0.00	1044880.00	0.00	1044880.00	
7	गीता कुटीर से सच्चाबाबा द्वार तक सड़क एवं नाली निर्माण	6.44	337986.00	0.00	337986.00	0.00	337986.00	

Scanned with CamScanner

	लगाने का कार्य							
9	रोडी बलवाला में मुख्य	0.20	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	
	सड़क के बने फुटपाथ							
	व रेलिग पर पेन्टिग का कार्य							
10	जटवाड़ा से आगे 255	[illegible].28	29398.00	0.00	29398.00	0.00	29398.00	
	मी0 लम्बाई में मुख्य							
	गंग नहर के किनारे							
	सौन्दर्यीकरण का कार्य							
11	चण्डीघाट पर शमशान	2.32	99097.00	0.00	99097.00	0.00	99097.00	
	घाट पर टीन शेड का							
	निर्माण कार्य							
12	सिंहद्वार से जटवाड़ा	0.10	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	
	पुल तक नहर के							
	किनारे झाड़ी सफाई का कार्य							
	योग	[illegible]7.96	3203800.00	0.00	3203800.00	0.00	3203800.00	

Scanned with CamScanner

निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडिट उत्तराखंड (स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग) देहरादून
सम्परीक्षा आख्या - भाग तीन

लेखे का नाम :- हरिद्वार विकास प्राधिकरण ।

अवधि :- 2008-09

1- आतिथ्य सत्कार पर व्यय रुपया 8187 :- दिनांक 10 नव. 2008 को मैसर्स राही मोटल गढ़वाल मंडल विकास निगम, राजपुर रोड के बोर्ड बैठक में आतिथ्य सत्कार हेतु रुपया 4018 + रुपया 4169 कुल रुपया 8187 का भुगतान किया गया था। इसमें निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयीं :-

(1) उक्त भुगतान प्रिंटेड बिल बुक पर नहीं था अपितु लैटर पैड पर पत्रांक सं 149/08/के०ओ०टी० उप दिनांक 25-10-08 पर था।

(2) उक्त भुगतान में से स्नैक्स, चाय, काफी एवं मिनरल वाटर के कुल रुपया 3370 पर 12.5% मैसर्स राही मोटल को डिमार्केट टैक्स रु 462=00 गया था जबकि यह मात्र मिनरल वाटर की बोतलों जिनकी कीमत रु 360 थी पर ही रुपया 45/= देय था। अर्थात् रुपया 422 का अधिक भुगतान किया गया।

(3) बिल एवं टिन संख्या नहीं होने से उक्त वेन्ट्रेन्स के जमा की पुष्टि नहीं हो सकी। इसकी पुष्टि करायी जाय।

(4) प्राप्ति रसीद नहीं थी।

मानचित्र अनुभाग

9/ मानचित्र पत्रावलियों में पाई गयी सामान्य अनियमिततायें

(1) मानचित्र पत्रावलियों में पारित मानचित्र कतिपय शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ पारित किये थे जिनमें से कुछ का पालन नहीं हुआ था। कतिपय उदाहरण निम्नवत् हैं:

(1) मान/हरि/एस डब्ल्यू-64/123/2008-09 श्री रामसेवक गुप्ता अध्यक्ष माथुर वैश्य धर्मार्थ न्यास का मानचित्र 2907/मद-1(क) मान/हरि/एस. डब्ल्यू-64/123/2008 7-11-08 से पारित किया गया था जिसकी शर्त सं. 13 के अनुसार निर्माण पूरा होने पर कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त करना था। इसके (2) अतिरिक्त पत्रांक सं. 2914/मान./हरि/एस. डब्ल्यू-64/123/2008-09 दिनांक 10-11-08 के अनुसार अधि अधिशासी नगरपालिका हरिद्वार तथा अधिशासी अभियंता उत्तराखंड जल संस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था।

(37)

(4) मैसर्स नर्सरी हनु वाटिका को भुगतान रुपया 19000/= :- मैसर्स

हनुवाटिका को चैक संख्या 711083/10-11-08, ओ०बी०सी० से शंकराचार्य चौक से, प्रेमनगर तिराहे तक बाड़ लगाने हेतु पौध 2500, 4 टैम्पो किराया, थैली आदि के लिये रुपया 19000/= का भुगतान किया गया था। स्कन्ध पंजी में प्रविष्टि एवं हनु वाटिका नर्सरी की प्राप्ति रसीद अनुपलब्ध रही। इन्हें आगामी अवसर पर उपलब्ध कराया जाय।

(5) मानचित्र सं० एस डब्ल्यू -34/2008-09 का भूस्वामित्व बिना किसी साक्ष्य के प्रमाणित किया जाना एवं अन्य आपत्तियां :-

उक्त पत्रावली में मानचित्र अनुज्ञा श्री राम देव पाठे, चेला स्वामी स्वामी अवधूत हरि प्रकाश, मुनि की रेती, का दिनांक 6-1-09 को पारित किया गया था। इसमें निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयीं :-

(1) पत्रावली में अवर अभियन्ता की नोट शीट पर टिप्पणी के अनुसार, "प्राधिकरण लेखपाल की आख्या 6-10-08 के अनुसार भू-स्वामित्व शपथ पत्र के अनुसार" प्रमाणित था। पत्रावली में भू-स्वामित्व संबंधी अभिलेख, विक्रय पत्र, नहीं थे उपलब्ध था। अतः भू-स्वामित्व नहीं, अपितु शपथ पत्रादि संबंधी स्थिति अज्ञात एवं अस्पष्ट रही।

50

वृक्ष आदि अंकित नहीं है।

(2) पारित नक्शे में वृक्ष आदि अंकित नहीं है। पारित मानचित्र पर आर्कीटैक्ट द्वारा प्रस्तावित/पारित मानचित्र के अनुसार दी गयी टिप्पणी के अनुसार वृक्ष दिखाया जाना सम्भव नहीं है अंकित किया गया था जबकि पत्रावली में संलग्न शपथपत्र (जो भूस्वामी द्वारा दिया गया था) के अनुसार नक्शे में वृक्षों को दिखा दिया गया है। उक्त विरोधाभास का संज्ञान प्राधिकरण स्तर पर नहीं लिया गया था।

(3) स्वयं के व्यय पर ध्वस्तीकरण योग्य बिल्डिंग के भाग को ध्वस्त कराया गया था अथवा नहीं, पत्रावली में स्पष्ट नहीं था।

(4) सिंचाई विभाग के अनापत्ति प्रमाणपत्र के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र गंगानहर के 200 मीटर के अंतर्गत था। स्वीकृति संबंधी नियम सम्परीक्षा को नहीं दिखाये गये।

(5) भवन निर्माण उपविधि के अध्याय 3 भाग -1 की अनुवर्ती धारा 3.1.2.1(क)(iv) के अनुसार 500 मीटर से ऊपर के क्षेत्रफल पर प्रत्येक 100 मीटर पर एक पेड़ लगाना अनिवार्य था। इस प्रकार उक्त भूमि पर 61 पेड़ लगाये जाने थे। अनुमानतः फोटो से उक्त भूमि पर पेड़ों की संख्या अज्ञात थी अनुमानतः मात्र दो पेड़ ही थी।

(6) दी गयी मापों के अनुसार (नोटशीट में) भूखंड का 6664.145 वर्गमीटर क्षेत्रफल था जबकि मानचित्र में 6602.20 वर्गमीटर था। अंतर का कारण स्पष्ट नहीं था।

(II)(1) पत्रावलि
संख्या अ
(III) आदि
नोट शीट
और संलग्न
दाहिनी ओर
थी। इस
ध्यान आकृ
(IV) मानचित्र
अंकित ... जो
उत्तर एवं दा
(ii) उक्त प
आदि से अन
न ही इस
करायी जाय
(iii) वृक्षा

(II)(1) पत्रावलियों में दाहिनी ओर के पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या अंकित नहीं की गयी थी।

(III) ~~अधिकांश~~ आधीकांश पत्रावलियों में लेखपाल की रिपोर्ट / टिप्पणी नोट शीट पर न होकर, एक सादे कागज पर दाहिनी ओर संलग्न थी। यह नियमानुसार नहीं था। आदेश के दाहिनी ओर तथा टिप्पणी नोट शीट पर दी जाती चाहिये थी। ~~इस ओर सक्षम~~ इस ओर सक्षम अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

~~(IV)~~ (i) मानचित्र पत्रावली एस. डब्लू.-41/2008-09 श्रीमती देवेन्द्र कौर की ~~मानचित्र~~ जांच से प्रकाश में आया कि फार्म के स्तम्भ घ (1) में अवस्थति उत्तर एवं दक्षिण की मापें नहीं दर्शायी गयी थी।

(ii) उक्त पत्रावली में नगरपालिका परिषद, ऋषिकेश, जलसंस्थान आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र की न तो मांग की गयी थी तथा न ही इस पर तत्सम्बन्धी कोई टिप्पणी की गयी थी। स्थिति स्पष्ट करायी जाय।

(iii) वृक्षारोपण की स्थिति भी स्पष्ट नहीं थी।

(V) (i) मानचित्र पत्रावली एस.डब्ल्यू-75/134/2008-09 दि. 15-11-08 के अनुसार ड्रेनेज प्लान का स्केल 1:500 दी ३५ से गंगा कैनाल 150 मीटर पर थी।

(ii) वृक्षारोपण के संबंध में निरीक्षण आख्या में स्थिति स्पष्ट नहीं कराई गयी थी तथा न ही शपथ पत्र लिया गया था। उल्लेखनीय है कि उक्त अनुज्ञा दो पेड़ लगाये जाने की शर्त पर प्रदत्त की गयी थी।

(iii) निरीक्षण आख्या में सड़क 9.0 मीटर तथा मानचित्र में 7.50 मीटर थी।

01/45

(3) व्यय पत्र संख्या शून्य/10 नव. 2008 रुपया 20048 :- सन्दर्भित व्ययपत्र से मैसर्स सम्राट सिम्योरिटी को शंकराचार्य चौक से प्रेमनगर तिराहे तक बाढ़ लगाने के लिये 10 मजदूरों को दिनांक 3-9-08 से 1-10-08 तक 19 दिनों की मजदूरी का भुगतान किया गया था। उक्त भुगतान में मजदूरों की उपस्थिति संलग्न नहीं थी तथा न ही बाढ़ की लम्बाई आदि दी गयी थी। व्यय का औचित्य स्पष्ट नहीं हुआ।

(ii) उक्त भुगतान में सम्राट सिम्योरिटी की प्राप्ति रसीद थी।

कृ

(6) अनुपलब्ध

में जाँच

उपलब्ध

व्यय पत्र/भुगतान क्र.	दिनांक
-	11-11-08
-	12-11-08
-	26-11-08
-	28-11-08
-	5-12-08
-	5-12-08
-	10-12-08
-	16-12-08

दो-

(6) अनुपलब्ध अभिलेख :- निम्नांकित व्ययों से संबंधित अभिप्रमाणित अभिलेख सम्परीक्षा में जाँच हेतु अनुपलब्ध रहे। इन्हें आगामी अंकेक्षण उपलब्ध कराया जाय।

व्यय पत्र/भुगतान दिनांक	व्यय विवरण	धनराशि	संबंधित अभिलेख
1	2	3	4
-/11-11-08	ट्रांसपोर्ट नगर पंजीकरण वापसी		
	श्रीमती आशा शर्मा	13548.	संबंधित पत्रावली
	,, दिव्या पंजवानी	13548.	- ,, -
	श्री के०एम० मिश्र	13548.	- ,, -
	,, विजय कुमार	13548.	- ,, -
-/12-11-08	श्री बलराम सिंह को अस्थायी अग्रिम	15000	अस्थायी अग्रिम पंजी, स्वीकृति, समायोजन लेखा।
-/26-11-08	विज्ञापन व्यय, न्यू [illegible]	19734	स्वीकृत्यादेश, बिल, प्राप्ति रसीद, पत्रावली आदि।
-/28-11-08	श्रीमती दीपा यादव पंजी. वापसी	13583.-	,,
-/5-12-08	आदि आभि. लो. नि. वि. को शिवलोक, हरिलोक आदि हेतु भुगतान	538200	व्ययपत्र, स्वीकृति, पत्रावली आदि
-/5-12-08	बालाजी कं. चौधरी कनखल, शमशान घाट सौंदर्यीकरण	10,18,707=84	व्ययपत्र, संबंधित पत्रावली, माप-पुस्तिका आदि।
-/10-12-08	मै. लिमरा एन्टरप्राइजेज विकास भवन बोर्ड	174718=80	संबंधित पत्रावली, वाउचर माप पुस्तिका आदि।
-/16-12-08	श्री आनंद राम आर्य एक्स. लेबर	10,000	संबंधित पत्रावली एवं अभिलेख।

पत्रावली प्रस्तुत हुई [illegible]

[signature]

Scanned with CamScanner

-52-

व्ययपत्र / दिनांक	व्यय विवरण	धनराशि (रुपयों)	वांछित अभिलेख व्ययपत्र संबंधित माप पुस्तिका आदि।
	नाला सफाई	35977	
- / 12-12-08		3100	- तदैव -
- / "	श्री श्रमानंद त्यागी, घास कटाई		- तदैव -
- / 29-12-09	~~सती देवी~~ मै० जय दुर्गे कम्पनी, चन्द्र माया के के सड़क निर्माण	218391=75	- तदैव -
- / 29-12-8 ~~09~~	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा नेहरू युवा केन्द्र	201743=60	- तदैव -

ह०/

(पी०आर०आर्य)

सहायक निदेशक,

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा

कोषागार एवं वित्त सेवायें

23-लक्ष्मी रोड, देहरादून

स्थान : देहरादून

दिनांक :

डॉ० विजय लक्ष्मी

सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी,

निर्गमनार्थ प्राधिकृत

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग उत्तराखण्ड,

हरिद्वार

Scanned with CamScanner